तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	28/10/22 [illegible] पीठासीन अधिकारी साहब अवकाश/दुगीन/अन्य प्रशासनिक कार्य में व्यस्त है। पत्रावली दिनांक 16/11/22 को पेश हो।
16/11/22	वकलाम स्ट्राइक 34/ पत्रावली वास्ते जवाब सरकार दिनांक 12/12/2022 को पेश हो
12/12/22	वकलाम स्ट्राइक 350/ पत्रावली वास्ते जवाब सरकार दिनांक 03/01/23 को पेश हो
03/01/23	वकलाम स्ट्राइक 350/ जवाब सामने पेश हुआ/ पत्रावली वास्ते कार्यवाही तनकीयात दिनांक 23/01/2023 को पेश हो
23/01/2023	वकील पक्षकारान हाजिर/ अधिवक्ता प्रतिवादी निवेदन किया कि वाद वादी चाहे गये अनुतोष अनुतोष स्वीकार कर लिया जावे तो इन्हे कोई एतराज नहीं [illegible] किया/ प्रति [illegible] 1-2 द्वारा [illegible] तथ्यों को स्वीकार [illegible] स्वीकार माने हेतु निवेदन किया है। अतः [illegible] प्रतिवादीगण ने वाद के सभी तथ्यों को स्वीकार कर लिया है तनकीयात कायम करने की आवश्यकता नहीं है प्रतिवादीगण अधिवक्ता द्वारा वांछित अनुतोष अनुसार वाद

उपखण्ड अधिकारी
रायसिंह[illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Gunjan Singh
Date: 2023.03.21 16:32:53 IST
Reason: SelfAttested

हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारी[...]
अहकाम,जो इ[...]
हुक्म की तामी[...]
में जारी हुए[...]

डिक्री किए जाने हेतु निवेदन किया है। अत: प्रतिवादीगण द्वारा दी गई सहमति आधार पर वाद वादी स्वीकार कर निम्न प्रकार से डिक्री किया जाता है:-

"1. विवादित भूमि चक 6NP खाता नं 39 में दर्ज मु. नं. 50 की 6.200 है० बारानी भूमि में प्रतिवादी नं. 1 मिठ्ठनलाल S/o आलूराम के ½ हिस्सा एवं चक 1 एलसी के खाता नं. 36 में दर्ज मु.नं. 6 की 3.163 है० नहरी मय खाला भूमि में प्रतिवादी नं. 1 मिठ्ठनलाल S/o आलूराम के ⅒ हिस्सा की खातेदारी भूमि में से वादी को ⅓ हिस्सा की भूमि का खातेदार घोषित किया जाता है, शेष भूमि प्रतिवादी नं. 1 के नाम से बदस्तूर रहेगी।

2. तहसीलदार रायसिंहनगर उपरोक्तानुसार वादी के नाम से राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद करे।

3. प्रतिवादीगण के विरुद्ध इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा पारित की जाती है कि वे वादी के उक्त घोषित ⅓ हिस्सा की खातेदारी भूमि को स्वयं या अन्य के माध्यम से किसी अन्य को रहन, बैय या अन्य किसी तरीके से हस्तांतरित करने से बाज व ममनूं रहें।"

इसी आशय की डिक्री जारी [illegible] [illegible]

निर्णय मेरे द्वारा [illegible]

लिखाया जाकर [illegible] [illegible] [illegible] गया।

पत्रावली फैसले में शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

[signature]

उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

Signature Not Verified
Digitally signed by Gunjan Singh
Date: 2023.03.21 16:32:53 IST
Reason: SelfAttested

मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7 सीपीसी)

परिशिष्ट घ संख्यांक–1

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर रायसिंहनगर

पीठासीन अधिकारी : गुंजन सिंह आई.ए.एस

सं. 25/2021
सीसीएमएस : 2021/76

1. सतवीर पूनियां पुत्र निहाल चन्द जाति बिश्नोई निवासी 1 एल.सी. तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर

बनाम

1. निहाल चन्द पुत्र बालूराम जाति बिश्नोई निवासी 1 एलसी तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर
2. पवन कुमार पुत्र निहाल चन्द जाति बिश्नोई निवासी 1 एलसी तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व, रायसिंहनगर

अन्तर्गत धारा 88–92ए–209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

–: निर्णय :–

दिनांकः–23.01.2023

वाद के आज श्री रविन्द्र बिश्नोई, अधिवक्ता वादी, श्री हरपाल सिंह सुदन अधिवक्ता प्रतिवादीगण सं. 1,2 की उपस्थिति में आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती हैं कि –

"1. विवादित भूमि चक 6 एनपी खाता सं. 39 में दर्ज मु.नं. 50 की 6.200है. बारानी भूमि में प्रतिवादी सं. 1 निहालचन्द पुत्र बालूराम के 1/2 हिस्सा एवं चक 1 एलसी के खाता सं. 36 में दर्ज मु.नं. 6 की 3.163है. नहरी मय खाला भूमि में प्रतिवादी सं. 1 निहालचन्द पुत्र बालूराम के 1/10 हिस्सा की खातेदारी भूमि में से वादी को 1/3 हिस्सा की भूमि का खातेदार घोषित किया जाता है, शेष भूमि प्रतिवादी सं. 1 के नाम से यथावत रहेगी।

2. तहसीलदार रायसिंहनगर उपरोक्तानुसर वादी के नाम राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करें।

3. प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा पारित की जाती हैं कि वे वादी के उक्त घोषित 1/3 हिस्सा की खातेदारी भूमि को स्वयं या अन्य के माध्यम से किसी अन्य को रहन, बैय या अन्य किसी तरीके से हस्तांतरित करने से बाज व ममनू रहे।"

खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करेंगे।

डिक्री आज दिनांक 23.01.2023 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

(गुंजन सिंह)
आई.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Gunjan Singh
Date: 2023.03.21 16:32:53 IST
Reason: SelfAttested

वाद के खर्च

वादी	रुपया	प्रतिवादी	रूपया
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प	—	1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प	—
2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	—	2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	—
3. प्रदर्शों के लिए स्टाम्प	—	3. प्लीडर की फीस	—
4. ....रूपये पर प्लीडर की फीस	—	4. साक्षियों के लिए निर्वाह–व्यय	—
5. साक्षियों के लिए निर्वाह–व्यय	—	5. आदेशिका की तामील	—
6. कमिश्नर की फीस	—	6. कमिश्नर की फीस	—
7. आदेशिका की तामील	—		
जोड़	2	जोड़	00